

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 18/2016
दिनांक 16.02.2016
इस न्यायालय में दर्ज प्र.स. 26/22
प्रकरण दायर दिनांक 03.01.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 08.04.2022

उनवान

1. श्री कालूराम पुत्र चिरंजीलाल जाति माली निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

—: वादी

वनाम:-


1. मुकेश पुत्र चिरंजी लाल
2. बुद्धाराम पुत्र चिरंजी लाल
3. रामजीवन पुत्र सुगरया
4. प्यारेलाल पुत्र सुगरया
5. पप्पू पुत्र वीरवल
6. करमा पत्नी भगवान सहाय
7. रामकिशोर पुत्र भगवानसहाय
8. अभिषेक पुत्र भगवान सहाय
9. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जरिये तहसीलदार तहसील बसवा दौसा।

:- प्रतिवादीग

“ दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा ”

::निर्णय::

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी वास्ते दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का न्यायालय उप-जिला कलेक्टर बांदीकुई में दिनांक 16.02.2016 को इस आशय का निम्न प्रकार पेश किया कि ग्राम बसवा वी तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 290 पुरानी 281 खसरा नं. 3714/10110 रकबा 0.09 है 0 खसरा नं. 3719 रकबा 0.08 खसरा नम्बर 3720 रकबा 0.10 है 0 खसरा नं. 3721 रकबा 0.06 है 0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.33 है वार्षिक लगानी 5.28 जिस आगे चलकर भूमिमुतदाविया के नाम सम्बोधित किया जावेगा। उक्त भूमि का अभितक विधिवत सरस-नरस के आधार पर तकास्मा नहीं हुआ है। मौके पर पक्षकारान ने आपसी सुविधा के अनुसार वाट रखा है लेकिन भूमि वोते समय आपस मे विवाद हो जाता है ऐसी सुरत में वादी भूमि मुतदाविया का सरस-नरस के अनुसार विधिवत तकासमा करवाकर अलग-अलग चक व अलग खाता अलग लगान कायम करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन नोटिस तलवी करवाई गई दिनांक 20.10.2016 को प्रतिवादी 1 व 2 की तरफ से श्री किशन लाल एडवोकेट द्वारा बकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 5.12.2016 को वाक्जुद सूचना के शेष प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 12.05.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प बसवा में लोक अदालत में पक्षकारान को सुनवाई हेतु बुलवाया गया पक्षकारान द्वारा विवादित आराजी का तकास्मा कराने हेतु कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया उभय पक्ष को सुनने व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिया कि विवादित भूमि पर दोनो पक्षो की उपस्थिति में कुर्रैजात तैयार कर भिजवाया जावे। पत्रावली


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यालयिक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2022 को स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। पहली बार बसवा के पत्रांक 1505 दिनांक 09.02.2022 को तहसीलदार बसवा द्वारा पत्रावली पर कुर्रजात प्रस्ताव उपलब्ध करवाये गये जो निम्न है -

क्र. सं.	खाल जमाबंदी में दर्ज खातेदारी का नाम	ख.न.	रकबा	किरम	कुर्रजात के अनुसार खातेदार का विवरण						
					क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किरम		
1	85 1- अभिषेक पुत्र भगवान सहाय 7/117 हिरसा जाति माली सा. देह 2- करमा पत्नी भगवान सहाय 7/117 हि. जाति माली सा. देह 3- कालूराम पुत्र चिरंजी लाल 3/13 हि. जाति माली सा. देह खातेदार 4- पप्पू पुत्र वीरवल 3/13 हि० जाति माली सा. देह 5- प्यारेलाल पुत्र सुगरया 7/39 हि. जाति माली सा. देह 6- रामकिशोर पुत्र भगवान सहाय हि. 7/117 जाति माली सा. देह 7- रामजीवन पुत्र सुगरया 7/39 हि. जाति माली सा. देह	3714/10110	0.09	मुजमा.	1	कालूराम पुत्र चिरंजीलाल जाति माली सा. देह खातेदार	3714/10110/2	0.0290	मुजमा		
		3719	0.08	मुजमा.			3719/2	0.0300			
		3720	0.10				3720/1	0.0250			
		3721	0.06				कुल योग	किता 3	0.0750		
							2	पप्पू पुत्र वीरवल जाति सा. देह खातेदार	3714/10110/1	0.0250	मुजमा.
								3719/1	0.0500		
								कुल योग	किता 2	0.0750	
					3	अभिषेक, रामकिशोर पि. भगवान सहाय जाति माली सा. देह	3720/2	0.0450	मुजमा.		
						3714/10110/3	0.0150				
						कुल योग	किता 2	0.0600			
						कुल योग	किता-2	0.0600			
					4	रामजीवन पुत्र सुगरया जाति माली सा. देह खातेदार	3720/3	0.0300	मुजमा.		
						3714/10110/4	0.0150				
						3721/1	0.0150				
						कुल योग	किता-2	0.0600			
					5	प्यारेलाल पुत्र सुगरया जाति माली सा. देह खातेदार	3721/2	0.0450	मुजमा.		
						3714/10110/5	0.0150				
						कुल योग:-	किता-2	0.600			
	योग:-	कुल किता 2	कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर								

हमने तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष वकीलो को अवलोकन करवाया गया उभय पक्ष वकीलो द्वारा प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव पर सहमती प्रकट की गई। हमने वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दावे की ताहीद मे प्राप्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव स्वीकार योग्य समझते है।

अतः आदेश है कि ग्राम बसवा की तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 290 पुरानी 281 खसरा नं. 3714/10110 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 3719 रकबा 0.08 खसरा नम्बर 3720 रकबा 0.10 है० खसरा नं. 3721 रकबा 0.06 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर में तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव अनुसार तकासा किया जावे। तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे, तहरीर एवं अंतीम पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 08.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया है।

(भावना शर्मा)

आरएएस

सहायक कलेक्टर फास्ट-ट्रेक
सिडिक कलेक्टर एवं
वादीकरी जिला दौसा
को न्यायालय नॉजस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बीकुई